इकाई 24 व्यक्तिवाद और समुदायवाद

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देष्य

24.1 प्रस्तावना

24.1.1 व्यक्तिवादी बनाम समुदायवादी मत

24.1.2 भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता

24.2 व्यक्तिवाद का अर्थ और विकास

24.2.1 परमाणुवाद (Atomism) और सुव्यवस्थित व्यक्तिवाद (Methodological Individualism)

24.2.2 जॉन रॉल्स व अन्य संविदावादियों (Contractualists) के विचार

24.2.3 उपयोगितावादियों के विचार

24.3 स्वत्व की व्यक्तिवादी संकल्पना

24.4 राज्य की प्रकृति व प्रकार्य संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत

24.4.1 राज्य व सरकार के प्रकार्य

24.5 समुदायवाद : एक परिचय

24.6 स्वत्व की व्यक्तिवादी संकल्पना संबंधी समुदायवादी समालोचना

24.6.1 व्यक्तिवाद की दो मुख्य मर्यादाएँ (Limitations)

24.7 राज्यीय तटस्थता की समुदायवादी समालोचना

24.8 सारांष

24.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

24.10 बोध प्रष्नों के उत्तर

24.0 उद्देष्य

इस इकाई में हमारा उद्देष्य है, समसामयिक राजनीति-सिद्धांत में चल रहे प्रमुख वाद-विवादों में से एक को समझना और उसका मूल्यांकन करना; अर्थात् उदारवादी व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच तर्क-वितर्क। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि :

- राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत को समझ सकें
- उदारवादी व्यक्विाद की समुदायवादी समालोचना का वर्णन एवं मूल्यांकन कर सकें
- व्यक्तिवाद और समुदायवाद के मुख्य सैद्धांतिक विचारों की तुलना कर सकें, तथा
- समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में इस वादविवाद की प्रासंगिकता को समझ सकें।

24.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आपको समसामयिक राजनीति-सिद्धांत में चल रहे एक मुख्य वादविवाद से परिचित कराया जायेगा, यानी उदारवादी व्यक्तिवाद और समुदायवाद।

व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच वाद-विवाद उन्नीस सौ अस्सी के दषक में माइकल सैंड्ल की पुस्तक *लिब्रलिज़्म एण्ड द लिमिट्स ऑफ़ जस्टिस* (1982) के प्रकाषन के साथ ही राजनीति-सिद्धांत के लिए खास हो गया। इस पुस्तक में सैंडल रॉल्सवादी

उदारवाद की सबसे सषक्त समालोचनाओं को और अधिक परिभाषित करते हैं, जिस आषय का कथन जॉन रॉल्स की पुस्तक अ *थिअरी ऑफ़ जस्टिस* (1971) में पाया जाता है। तभी से यह बहस किसी न किसी रूप में राजनीति-सिद्धांत के अत्यधिक अध्ययन की जानकारी देती रही है। दरअसल, समसामयिक राजनीति-सिद्धांत की मुख्य घटनाओं एवं विषयों में से कुछ उन तर्कों पर आधारित हैं जो इस वाद-विवाद से ही उत्पन्न होते हैं।

व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच बहस के केन्द्र में सवाल है : क्या न्यायसंगत राज्य इस दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिए कि लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन मिले अथवा उसे इस दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिए कि एक आदर्ष समुदाय को यथार्थ रूप कैसे प्रदान करें? क्या राजनीतिक वास्तविकता उन व्यक्तियों के फैसलों और कार्रवाइयों द्वारा आकार प्रदान की जाती है, जिनको समुदाय के बंधनों से एक दूरी रखकर (अथवा अलग) खड़े लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, अथवा उन सामाजिक प्राणियों द्वारा आकार प्रदान की जाती है, जिनकी पहचान और व्यवहार को उन सामाजिक समूहों/समुदायों द्वारा परिभाषित किया जाता है जिनसे वे संबंध रखते हैं? दूसरे शब्दों में, राजनीतिक विष्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है या फिर समुदाय?

24.1.1 व्यक्तिवादी बनाम समुदायवादी मत

इस प्रष्न का जवाब देने में व्यक्तियों और समुदायों के भिन्न-भिन्न मत हैं। जहाँ एक ओर, व्यक्तिजन राजनीतिक वास्तविकता को स्वतंत्र एवं अधिकारधारक व्यक्तियों के निर्णयों एवं कार्रवाइयों द्वारा आकार प्रदान किए जाने के रूप में देखते हैं, दूसरी ओर समुदायवादी जन व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंध पर ज़ोर देते हैं और इस संबंध को राजनीति का आधार मानते हैं। तदनुसार, इस बहस का दो तरह के लोगों के बीच वादविवाद के रूप में वर्णन किया जा सकता है – एक तो वे जो वैयक्तिक अधिकारों व स्वायत्तता के पक्ष में हैं, और दूसरे वे जो राजनीतिक जीवन में समुदाय के बंधनों पर ज़ोर देते हैं।

24.1.2 भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता

व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच बहस विषेष रूप से भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक है। भारतीय संविधान पारम्परिक उदारवादी ढाँचे के पथ से भिन्न है, जो कि वैयक्तिक अधिकारों की गारण्टी देता है और समुदाय-सदस्यता के अधिकारों की उपेक्षा करता है। वह वैयक्तिक स्वायत्ता और समुदाय-सदस्यता के दोहरे आदर्षों का अनुमोदन करता है और स्वीकार करता है। संविधान में वैयक्तिक नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की गारण्टी और सभी समुदायों के लिए समान आदर का सिद्धांत, दोनों हैं। व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच बहस का अध्ययन, इसीलिए, समसामयिक भारतीय राजनीति-सिद्धांत एवं व्यवहार में कुछ सवालों व मुद्दों को समझने के लिए भी ज़रूरी है।

यह ग़ौर करना मददगार साबित होगा कि व्यक्तिवाद और समुदायवाद की विभिन्न किस्में हैं। इस इकाई में कुछ मुख्य तर्कों और इन सैद्धांतिक विचारों में मिलने वाले प्रसंगों का अध्ययन करेंगे।

हम उदारवादी व्यक्तिवाद के अर्थ और उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। फिर हम व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य के कुछ मुख्य तर्कों को समझते जायेंगे, यथा स्वत्व (self) की संकल्पना और राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों का बोध करेंगे। इसके बाद पायेंगे उदारवादी व्यक्तिवाद की समुदायवादी समालोचना की भूमिका। फिर हम व्यक्ति की अवधारणा तथा राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों पर समुदायवादियों द्वारा रखे जाने वाले विचारों पर सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे। प्रस्तुत इकाई उदारवाद और समुदायवाद के कुछ खास योगदानों और सीमाओं पर प्रकाष डालती हुई समाप्त होती है।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अन्त देखें।

1) व्यक्तिवाद और समुदायवाद में बुनियादी अंतर क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय संदर्भ में व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच बहस किस प्रकार प्रासंगिक है?

.....

.....

.....

.....

.....

24.2 व्यक्तिवाद का अर्थ और विकास

व्यक्तिवाद नागरिक तथा राज्य व राज्यीय गतिविधियों के उचित कार्यक्षेत्र के बीच संबंध से जुड़े अनेक सिद्धांतों में से एक है। इस संबंध के अन्य सिद्धांत, जो व्यक्तिवाद का विरोध करते है, वे हैं – समाजवाद, सर्वोदय, फासीवाद एवं समुदायवाद, जिनका अध्ययन हम इस इकाई में बाद में करेंगे। इन दूसरे सिद्धांतों से जो बात व्यक्तिवाद को अलग करती है, वो है उनका राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांत में बुनियादी इकाई के रूप में व्यक्ति पर ज़ोर दिया जाना।

व्यक्तिवाद के मुख्य पक्षधरों में से कुछ हैं – ऐडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेन्सर तथा अभी हाल ही के एफ. ए. हयेक एवं रॉबट नॉज़िक। भारत में महादेव गोविन्द रानाडे तथा स्वतंत्र पार्टी ने मुख्य रूप से व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया।

24.2.1 परमाणुवाद (Atomism) और सुव्यवस्थित व्यक्तिवाद (Methodological Individualism)

व्यक्तिवाद की अवधारणा उदारवादी राजनीतिक चिंतन के मुख्यालक्षणों में से एक है, अन्य हैं – सर्वमुक्तिवाद, समतावाद, धर्मनिरपेक्षवाद, तथा सार्वजनिक व निजी के बीच पृथक्करण। व्यक्तिवाद की धारणा विचारों, व्यवहारों व सिद्धांतों की व्यापक विविधता को समाविष्ट

करती है। इन विचारों व सिद्धांतों के केन्द्र में हैं – किसी भी समूह, समुदाय अथवा समष्टि (collective) से ऊपर व्यक्ति को प्रमुखता दिया जाना। व्यक्ति को अपने आप में एक साध्य माना जाता है जबकि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संस्थाओं को उस साध्य हेतु महज़ **साधन** समझा जाता है। व्यक्तिवाद की इस धारणा को 'परमाणुवाद' कहा जाता है– उन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों द्वारा स्थापित समाज संबंधी एक दृष्टिकोण, जो मुख्य रूप से व्यक्तिपरक होते हैं और जो पहले से ही होते हैं अथवा सामाजिक जीवन के किसी भी विषिष्ट रूप से पूर्व आते हैं। व्यक्तिवाद किसी भी राजनीतिक सिद्धांत अथवा सामाजिक व्याख्या के प्रति व्यक्ति की केन्द्रिकता विषयक सिद्धांत का भी संकेत करता है। इस सिद्धांत को 'सुव्यवस्थित व्यक्तिवाद' भी कहा जाता है – एक सिद्धांत जो यह दावा करता है कि सामाजिक विज्ञान अथवा इतिहास में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है जो व्यक्तियों, उनके विषेष गुणों, लक्ष्यों, विष्वासों व कार्यकलापों संबंधी तथ्यों व लक्षणों पर आधारित न हो। दूसरे शब्दों में, सामाजिक समुदायों अथवा व्यवहार के संपूर्ण प्रतिमानों की व्याख्या हमेषा व्यक्ति के संबंध में ही की जानी चाहिए।

अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से, व्यक्तिवाद का सिद्धांत लेस-ॲफेॲ (laissez faire) के सिद्धांत से ताल्लुक रखता है जो कि एक फ्रेन्च शब्द है जिसका अर्थ है - 'हस्तक्षेप न करना' अथवा '(हमें) (फलां) करने की अनुमति दो'। लेस-ॲफेॲ का सिद्धांत एक आर्थिक व्यक्तिवाद का सिद्धांत है और राज्य व नागरिक के बीच संबंध के एक व्यापकतर सिद्धांत का हिस्सा है। अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस और इंग्लैण्ड के उन व्यवसायियों, साहूकारों व छोटे विनिर्माताओं का यही युद्धघोष था, जो पैसावादी (mercantilist) राज्य के नियंत्रणों एवं नियमों द्वारा बाधित महसूस करते थे। पैसावादी राज्य की विषेषता थी - अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ राज्य की दखलंदाज़ी। इसकी तुलना में आर्थिक लेस-ॲफेॲ का अर्थ था – आर्थिक क्षेत्र में राज्य द्वारा अहस्तक्षेप अथवा न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति। यह महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था बाज़ार की माँग व आपूर्ति के अनुसार परिचालित होने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लेस-ॲफेॲ अथवा आर्थिक व्यक्तिवाद का अर्थ है – सीमित शासन-षक्ति और मुक्त व्यापार।

24.2.2 जॉन रॉल्स व अन्य संविदावादियों (Contractualists) के विचार

व्यक्तिवाद अनिवार्यतः एक आधुनिक दष्यघटना है जिसने सत्रहवीं शताब्दी में हॉब्स एवं लॉक के लेखों में आकार लेना शुरू किया। हॉब्स एवं लॉक के समय से ही उदारवादी राजनीति-सिद्धांत ने व्यक्ति व राज्य के बीच संबंध को अच्छी तौर से जाँचने को अपना मुख्य उद्देष्य बना लिया था। अधिकतर उदारवादी राजनीति-सिद्धांतों के अनुसार, सभी व्यक्ति अहस्तांतरणीय अधिकार रखते हैं। शासक वर्ग उन लोगों की सहमति से ही अपनी शक्तियाँ व्युत्पन्न (derive) करता है, जिन पर कि शासन किया जाना होता है। यह सम्मति शासितों एवं शासन करने वालों के बीच एक सामाजिक अनुबंध द्वारा अभिव्यक्त और उसी के आधार पर विहित होती है। तथापि, व्यक्तिवादी विचार का विषिष्ट लक्षण यह दावा है कि सामाजिक अनुबंध हेतु पक्षकार अनिवार्यतः व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करने वाले लोग ही हों, न कि किसी सांस्कृतिक अथवा समष्टिगत समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में व्यवहार करने वाले लोग।

हॉब्स, लॉक और रूसो ने ऐसे अनेक लोगों की बात की जो राज्य का निर्माण एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से करते थे और साफ तौर पर व्यक्ति व राज्य के बीच मध्यस्थ संघों व समूहों को न लाने की बात कहते थे। वस्तुतः रूसो ने दृढ़ता से कहा कि आम इच्छा यथार्थ रूप से व्यक्त की जानी हो, तो यह जरूरी है कि राज्य के भीतर कोई सहायक समूह न हों। संविदावादी दृष्टिकोण के सबसे नवीनतम मुख्य व्याख्याता, जॉन

रॉल्स, इसी के अनुसार यह मानकर चलते हैं कि मूल अवस्था में पक्षकार जो न्याय-सिद्धांतों को तैयार करते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी खुद की राय देते हैं। इसके अतिरिक्त, जिस न्याय की वे बात करते हैं व्यक्तियों के लिए ही होता है। जबकि रॉल्स सामाजिक वर्गों के लिए थोड़ी दिलचस्पी ज़रूर दिखाते हैं, वो इस प्रश्न को नहीं उठाते कि क्या समुदाय/समूहों को न्यायर्थ दावों वाली सत्ता समझा जाये अथवा नहीं।

24.2.3 उपयोगितावादियों के विचार

उदारवादी राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति पर ज़ोर दिया जाना सामाजिक संविदा पहलू तक सीमित नहीं है। अधिक-से-अधिक लोगों की अधिक-से-अधिक खुषहाली की बात करते हुए जेरैमी बैंथम व जे.एस. मिल जैसे उपयोगितावादियों ने भी व्यक्तियों को ही दिमाग़ में रखा था। वस्तुतः अपनी पुस्तक *ऑन लिबर्टी* में मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजी मामलों से अलग रहने संबंधी राज्य की आवष्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार, वे लोग जो शासितों की सम्मति की बात करते हैं, सामान्यतया इसको एक स्पष्ट धारणा के रूप में लेते हैं कि यह सम्मति व्यक्तियों से ही मिलती है। इसके अलावा, लोकतंत्र के सिद्धांत जिनमें एक व्यक्ति - एक वोट - एक मूल्य तथा बहुमत शासन संबंधी धारणा होती है, स्पष्ट रूप से व्यक्तियों को ही मन में रखते हैं।

जैसा कि हमने ऊपर देखा, व्यक्तिवाद ने आधुनिक उदारवादी राजनीतिक चिंतन को काफ़ी प्रभावित किया है। तथापि, व्यक्तिवादी सिद्धांत सार्वत्रिक रूप से स्वीकृत अथवा आलोचनामुक्त नहीं है। वर्तमान राजनीति-सिद्धांत राज्य व नागरिक के बीच संबंध के साथ-साथ राज्यीय गतिविधियों के उचित कार्यक्षेत्र के विषय में भी गहरे विभाजित हैं। अगले भाग में हम उदारवादी व्यक्तिवाद विषयक कुछ उन मुख्य धारणाओं पर दृष्टिपात करेंगे जो समुदाय की आलोचना का षिकार हुई हैं।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) 'परमाणुवाद' तथा 'सुव्यवस्थित व्यक्तिवाद' से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) व्यक्तिवाद विषयक संविदावादियों के विचारों पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

24.3 स्वत्व की व्यक्तिवादी संकल्पना

व्यक्तिवाद के सिद्धांत के लिए मुख्य बात है स्वत्व संबंधी उसकी अवधारणा अथवा बोध। वस्तुतः व्यक्तिवाद राज्य व नागरिक के बीच संबंध के साथ राज्यीय गतिविधियों के उचित कार्यक्षेत्र संबंधी भी अपनी सोच स्वत्व की अवधारणा के आधार पर ही तैयार करता है। इस भाग में हम स्वत्व अथवा व्यक्ति संबंधी व्यक्तिवादी अवधारणा का अध्ययन करेंगे।

व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से, लोग स्वतंत्र, समझदार एवं आत्म-निर्णय में सक्षम हैं। वे **समझदार** इस बात में हैं कि वे ही अपने हितों के सबसे अच्छे पारखी हैं। वे **आत्म-निर्णय** में सक्षम हैं, यानी वे उत्तम जीवन संबंधी अपनी निजी धारणा को निष्चित करने में समर्थ हैं। किसी व्यक्ति की उत्तम जीवन संबंधी अवधारणा उसके उन विष्वासों एवं मूल्यों का समुच्चय होता है जो इस विषय में होते हैं कि वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे तथा कौन सी बात जीवन को सार्थक बनाएगी, लोग इस अर्थ में स्वतंत्र हैं कि वे वर्तमान सामाजिक प्रथाओं में अपनी भागीदारी का सवाल उठाने तथा इन प्रथाओं के अधिक उपयोग में न रहने पर उन्हें छोड़ देने का सामर्थ्य और अधिकार, दोनों रखते हैं। व्यक्तिजन, दूसरे शब्दों में, किसी भी सामाजिक संबंध-विषेष पर प्रष्न करने और उसे निरस्त करने अथवा संषोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यक्तियों के रूप में हम किसी भी सामाजिक प्रथा-विषेष से नाता तोड़ने अथवा पीछे हटने तथा यह प्रष्न करने की क्षमता रखते हैं कि हम उसका अनुगमन जा़री रखें अथवा नहीं। कोई भी कठिन कार्य-विषेष अथवा लक्ष्य हमारे लिए समाज द्वारा तय नहीं किया जाता; कोई भी लक्ष्य हमारे स्वयं द्वारा संभावित संषोधन अथवा अस्वीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रयास-लक्ष्य, उद्देष्य एवं प्रयोजन सदा ऐसी चीजें रही हैं जिनसे वह अपने आप को जोड़ना पसंद करता है और इसीलिए उनसे नाता तोड़ना भी। तदनुसार व्यक्ति इच्छा-प्रयोग द्वारा ही अपने प्रयोजनों, लक्ष्यों से जुड़ा होता है। रॉल्स उक्त तर्क को इस वाक्य में व्यक्त करते हैंः 'स्वत्व साध्यों से पहले है, जो कि उसी के द्वारा पुष्ट किए जाते हैं'।

व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में भी, पसंद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए होती है, ठीक-ठीक इसलिए ताकि पता लगा सकें कि जीवन में मूल्यवान क्या है, अपने विष्वासों व मूल्यों को बना सकें, जाँच सकें व दुरुस्त कर सकें। लोगों के पास आवष्यक संसाधन तथा दण्डित किए जाने के बिना अपने विष्वासों एवं मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए आवष्यक स्वतंत्रताएँ (तदनुसार, नागरिक एवं वैयक्तिक स्वतंत्रताएँ) अवष्य होनी चाहिए। उन्हें उत्तम जीवन विषयक विभिन्न दृष्टिकोणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु तथा इन दृष्टिकोणों की बुद्धिमानीपूर्वक जाँच करने की योग्यता प्राप्त करने हेतु सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी उपलब्ध होनी चाहिए (तदनुसार, षिक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु संदर्भ)।

स्वतंत्र, समझदार एवं आत्म-निर्णयन् में सक्षम के रूप में व्यक्ति की संकल्पना के आधार पर ही व्यक्तिवादी जन नागरिक व राज्य के बीच संबंध विषयक तथा राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों संबंधी अपने सिद्धांत को और अधिक परिभाषित करते हैं।

बोध प्रष्न 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) स्वत्व संबंधी व्यक्तिवादी संकल्पना पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.4 राज्य की प्रकृति व प्रकार्य संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत

राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत स्वतंत्र, समझदार एवं आत्म-निर्माणकारी के रूप में स्वत्व की संकल्पना पर आधारित है। व्यक्तिवाद के अनुसार, चूँकि व्यक्तिजन स्वतंत्र, समझदार एवं आत्म-निर्णयन् सक्षम हैं, उनके हितों को इस बात से बेहतर बढ़ावा मिलता है कि उन्हें स्वयं चुननें दे कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उत्तम जीवन संबंधी किसी दृष्टिकोण-विषेष को लागू किए जाने हेतु राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से वैयक्तिक हितों को नुकसान पहुँचता है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्र, समझदार एवं आत्मनिर्णयकारी के रूप में स्वत्व की संकल्पना को राज्य की संकल्पना तटस्थ एवं न्यूनतमवादी हो, ऐसी अपेक्षा होती है। व्यक्तिवाद के लिए राजनीतिक व्यवस्था में अग्रिम मूल्य तब राज्य की उदासीनता ही होना चाहिए। वस्तुतः उदारवादी व्यक्तिवाद का एक विषेष लक्षण है – एक तटस्थ एवं न्यूनतम राजनीतिक सत्ता के रूप में राज्य पर उसका ज़ोर दिया जाना।

एक तटस्थ राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हित संबंधी किसी भी वैयक्तिक संकल्पना-विषेष का पक्ष नहीं लेता, न ही उसको संरक्षण देता है, न ही बढ़ावा देता है अथवा विपरीततः उसके विरुद्ध भेदभाव करता है अथवा उसे कानूनन दण्डनीय बनाता है। बल्कि इस प्रकार का राज्य एक ऐसा तटस्थ ढाँचा प्रदान करता है जिसके भीतर हित संबंधी विभिन्न एवं संभाव्यतः परस्पर-विरोधी संकल्पनाओं की खोज की जा सकती है। वह अपने नागरिकों द्वारा मन में रखे जाने वाले उत्तम जीवन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों एवं संकल्पनाओं को बिना विरोध सहने के प्रति वचनबद्ध होता है। दूसरे शब्दों में, तटस्थ राज्य उत्तम जीवन संबंधी किसी संकल्पना-विषेष को नहीं थोपता। इसकी बजाय वह अपना जीवन व्यतीत करने के सबसे अच्छे तरीके के विषय में लोगों के फैसलों से दूर ही रहता है, जिससे वह हित अथवा जीवन-रीति संबंधी अपनी संकल्पना के अनुषीलन हेतु प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र (एक यथासंभव सीमा तक) हो जाता है।

24.4.1 राज्य व सरकार के प्रकार्य

तब, व्यक्तिवाद के अनुसार, राज्य व सरकार के औचित्यपूर्ण कार्य क्या हैं? व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में लोग अपनी प्राकृतिक अथवा पूर्व-राजनीतिक स्वतंत्रता से सम्पन्न हैं। शासन शासितों की सम्मति से ही उत्पन्न होता है। राज्य कोई प्राकृतिक सत्ता नहीं; बल्कि यह एक कृत्रिम परन्तु आवष्यक रचना है। राज्य को दरअसल एक अनिवार्य बुराई के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि राज्य एक आवष्यक बुराई है, सबसे कम शासन करने वाली सरकार को ही सबसे अच्छी सरकार माना जाता है। राज्य के प्रकार्य एवं भूमिका इसी कारण वैयक्तिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता की गारण्टी एवं संरक्षण दिए जाने तक ही

सीमित हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य की भूमिका अल्पतम है और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने व अपने नागरिकों की सुरक्षा संबंधी प्रबंध एवं तैयारी करने तक ही सीमित है, आगे उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्य को नागरिकों की आज़ादी में दखलंदाज़ी केवल तभी करनी चाहिए, जब उसे दूसरों की आज़ादी में अनावष्यक रूप से हस्तक्षेप करने से किसी व्यक्ति को रोकना हो।

तटस्थ और अल्पतम के रूप में राज्य को लिया जाना ऊपर चर्चित लेस-ॲफेॲ सिद्धांत से ताल्लुक रखता है, जो कि व्यक्ति को अत्यधिक एवं अनुचित राज्य हस्तक्षेप एवं नियंत्रण से मुक्त छोड़ दिए जाने हेतु दलील देता है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से, एक राज्य जो अपने कर्तव्यों को वैयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने से परे परिभाषित करता है, अपने नागरिकों की स्वतंत्रता एवं आत्म-दृढ़ता को प्रतिबंधित करता है।

व्यक्तिवाद, तदनुसार, राज्यीय गतिविधियों के विस्तार एवं वैयक्तिक अधिकारों व स्वतंत्रता के क्षेत्र परिवर्धन (enlargement) के बीच एक प्रतिलोम (inverse) संबंध देखता है।

स्वत्व संबंधी व्यक्तिवादी संकल्पना की, राज्य एवं नागरिक के बीच संबंध से जुड़ी अपनी समझ और राज्यीय गतिविधियों के उचित कार्यक्षेत्र की अनेक सैद्धांतिक पहलुओं से आलोचना की गई है, जिनमें से कुछ हैं – फासीवाद, सर्वोदय, साम्यवाद तथा नारीवाद। तथापि, व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य की सर्वाधिक गंभीर आलोचना समुदायवाद के सिद्धांत में पायी जाती है। आगे हम व्यक्तिवाद की समुदायवादी आलोचना पर दृष्टिपात करेंगे।

बोध प्रष्न 4

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) व्यक्तिवादी सिद्धांत में राज्य की भूमिका/उसके प्रकार्यों पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.5 समुदायवाद : एक परिचय

उन्नीस सौ अस्सी के दषक से उदारवादी-व्यक्तिवाद सिद्धांत को अपनी सबसे भेदकारी एवं कड़ी चुनौती और आलोचना का सामना करना पड़ा, उस बात में जिसे ''समुदायवाद'' नाम दिया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, समुदायवाद (communitarian) शब्द सबसे पहले माइकल सैण्डल द्वारा उनकी पुस्तक *लिब्रलिज़्म एण्ड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस* (1982) में प्रकाष में लाया गया, जिसमें उन्होंने जॉन रॉल्स के उदारवादी न्याय

संबंधी सिद्धांत की उदारवादी व्यक्तिवादी बुनियादों की आलोचना को और अधिक परिभाषित किया। उदारवादी व्यक्तिवाद के कुछ उन्य समुदायवादी आलोचक हैंः ऐलिसड्यैर मैकइंटर, माइकल वॉल्ज़र तथा चार्ल्स टेलर। ये समुदायवादी चिंतक हेगेल और रूसो से बहुत अधिक प्रेरित हैं।

समुदायवादी जन सर्वप्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से समुदाय से संबंध रखते हैं। दो या उससे अधिक लोग एक समुदाय का निर्माण करते हैं जब वे हित संबंधी किसी आम अवधारणा में भागीदार होते हैं और इस हित को अपनी पहचान अथवा स्वत्वों के अंषतः निर्माणकारी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार का ''निर्माणकारी समुदाय'' कोई घनिष्ट मित्रता, पारिवारिक संबंध, पड़ोस अथवा कोई विस्तृत राजनीतिक समुदाय हो सकता है।

समुदायवादी जन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि व्यक्तियों के रूप में हममें से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी पहचान, प्रकृतिप्रदत्त योग्यताओं एवं व्यवसाय को सिर्फ़ एक समुदाय के प्रसंग में ही विकसित करे। हम स्वभावतः सामाजिक प्राणी हैं। चूँकि समुदाय ही वैयक्तिक स्वभाव को निष्चित और आकार प्रदान करता है, राजनीतिक जीवन समुदाय से संबंध रखते हुए ही आरम्भ होना चाहिए न कि व्यक्ति से। दूसरे शब्दों में, आदर्ष और न्यायसंगत पर विचार करते हुए सैद्धांतिक चिंतन का केन्द्र समुदाय ही होना चाहिए, न कि व्यक्ति।

समुदायवादी चिंतकों के अनुसार उदारवादी व्यक्तिवाद का मुख्य दोष तब यह है कि वह भ्रम-जनित रूप से और अप्रतिकार्य रूप से व्यक्तिवादी है। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध की उदारवादी संकल्पना, समुदायवाद के अनुसार, अनुचित रूप से सीमित है और साथ ही समाज की यथार्थ प्रकृति की मिथ्या प्रतिनिधि भी। समुदायवादी दृष्टिकोण में, किसी द्वि-स्तरीय संबंध के लिहाज से एक स्तर पर व्यक्ति के साथ सोचना और दूसरे स्तर पर राज्य के साथ, इतना ही काफी नहीं है। समूह व समुदाय व्यक्ति व राज्य के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति में हैं और उन्हें इस प्रकार के अधिकार- एवं कर्त्तव्य-धारक इकाइयों में गिना जाना चाहिए जिनके अन्तर्संबंधों की गवेषणा करनी हो। समुदायवादियों के अनुसार, समाज से ऊपर व्यक्तियों के अधिकारों एवं आज़ादी पर ज़ोर देकर, उदारवादी व्यक्तिवाद सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हेतु समुदाय-सदस्यता एवं पहचान के महत्त्व को अनदेखा करता है। वह उस विस्तारक्षेत्र पर ध्यान नहीं देता जहाँ तक कि वह समाज/समुदाय जिसमें लोग रहते हैं, वे जो हैं को निरूपित करता है और उन मूल्यों को भी, जो वे रखते हैं।

यद्यपि समुदायवादी आलोचकगण उदारवादी व्यक्तिवाद के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, उनमें से कुछ मुख्य प्रसंगों व तर्कों को पहचानना संभव है; जैसा कि स्वत्व संबंधी उदारवादी-व्यक्तिवाद अवधारणा की समालोचना तथा राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों संबंधी उसकी समझ। आगे हम इन तर्कों के संदर्भ में उदारवादी व्यक्तिवाद की समुदायवादी समीक्षा का अध्ययन करेंगे।

बोध प्रष्न 5

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) समुदायवाद क्या है? स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.6 स्वत्व की व्यक्तिवादी संकल्पना संबंधी समुदायवादी समालोचना

अधिकतर समुदायवादी चिंतन ने खुद को स्वयं संबंधी एक स्पष्ट संदर्भ और एक व्यक्तिवादी संकल्पना के परित्याग की भाषा में प्रस्तुत किया है। इस समुदायवादी दावे का सामान्य रूप यह है कि व्यक्तिवादी राजनीति-सिद्धांत हमें (व्यक्तियों के रूप में) इस तरीके से अपने सामाजिक प्रयोजनों व हित-संकल्पनाओं से दूर – अलग ले जाता है कि जो उस तरीके से मेल खाने में सहज ही असफल रहता है जिससे हम वस्तुतः इन प्रयोजनों से संबंध रखते हैं।

24.6.1 व्यक्तिवाद की दो मुख्य मर्यादाएँ (Limitations)

समुदायवादी जन सामाजिक प्रयोजनों से विमुख एवं पृथक् रूप से स्वत्व संबंधी उदारवादी व्यक्तिवादी बोध की दो मुख्य सीमाबद्धताओं की ओर संकेत करते हैं : प्रथम, वह समुदाय के महत्त्व का अवमूल्यन करती है, उसको नगण्य मानती है और उसे पदोन्नत करती है; और दूसरे, वह स्वत्व व उसके प्रयोजनों के बीच संबंध की एक त्रुटियुक्त संकल्पना को पहले से ही मानकर चलती है।

पहली समालोचना में, समुदायवाद समुदाय के महत्त्व को कम करने व उसे नगण्य मानने के लिए और अधिक विषेष रूप से उसकी उस सीमा तक उपेक्षा करने के लिए उदारवादी व्यक्तिवाद का विरोध करता है; जहाँ तक कि यही वह समाज या समुदाय है जिसमें लोग रहते हैं, जो इस बात को इच्छित रूप प्रदान करता है कि वे क्या हैं और कौन से मूल्य अपनाते हैं।

जैसा कि हमने ऊपर देखा, व्यक्तिवाद यह समझता है कि समाज से बाहर लोग आत्म-निर्भर हैं और आत्म-निष्चय हेतु अपनी क्षमताओं को विकसित व प्रयोग करने के लिए उन्हें किसी समुदाय प्रकरण की आवष्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिवाद व्यक्ति के लिए एक उत्तम जीवन को कार्यरूप देने में समुदाय-सदस्यता के महत्त्व को मान्यता नहीं देता।

समुदायवाद के अनुसार, तथापि, समुदाय व्यक्ति के उत्तम जीवन हेतु एक आधारभूत और अप्रतिस्थाप्य घटक हैं। लोग कितने भी लोचदार और स्वावलम्बी हों, सामाजिक एवं समुदायिक जीवन से बाहर मानव का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। लोग, समुदायवादियों के अनुसार रॉबिन्सन क्रूसो नहीं हैं जो पूरी तरह से और स्थायी एकाकीपन में रह लें। बल्कि लोग तो उस समुदाय द्वारा संगठित और अपनी पहचान बनाये हुए हैं, जिससे वे संबंध रखते हैं। मनुष्यों के रूप में हम अनिवार्यतः किसी परिवार, धर्म, जनजाति, प्रजाति व राष्ट्र के सदस्य हैं। इस प्रकार, सामाजिक एवं सामुदायिक प्रयोजनों व मूल्यों से दूर होने की बजाय, हमारा एक इतिहास है और विषिष्ट सामाजिक परिस्थतियों में

हमारा स्थान निर्दिष्ट है। इस सामुदायिक सदस्यता से जुड़ाव और नैतिक परियुक्तियाँ ही ''हम जो हैं'' को निर्धारित करती हैं और ''हम जो मूल्य रखते हैं'' को निष्चित रूप प्रदान करती हैं। समुदायवादी जन, तदनुसार, उस स्वत्व संबंधी एक विषेष परिकल्पना को जन्म देने के लिए उदारवादी व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं, जो उस सामाजिक सच्चाई से पृथक्त है, जो उसको स्थापित करती है।

दूसरी समालोचना के अनुसार, समुदायवाद वैयक्तिक स्वत्व और उसके प्रयोजनों के बीच संबंध की एक भ्रम-जनित अथवा मिथ्या समझ रखने के लिए व्यक्तिवाद की आलोचना करता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी, व्यक्तिवाद इस अर्थ में 'स्वत्व को उसके साध्यों से पहले' समझता है कि व्यक्तियों के पास उत्तम जीवन की प्रकृति विषयक सबसे गंभीर रूप से ली जाने वाली मान्यताओं को, यदि वे और अधिक पालन योग्य न पायी जायें तो, आलोचित करने, संषोधित करने व निरस्त करने का अधिकार है।

समुदायवाद के अनुसार, स्वत्व संबंधी इस धारणा को स्वीकार करना व्यक्ति द्वारा स्वयं को देह-मुक्त, उऋण और सामाजिक लक्ष्यों व जुड़ावों के साथ एक स्वैच्छिक संबंध निभाते व्यक्ति के रूप में देखना है। वे व्यक्तिवाद द्वारा स्वीकृत स्वत्व और उसके साध्यों के बीच संबंध की इस स्वेच्छावादी तस्वीर का विरोध करते हैं। उनके उनुसार, यह तस्वीर उस रीति को अनदेखा करती है जिससे हम सामाजिक भूमिकाओं व समुदाय-सदस्यता द्वारा घिरे हैं या उनमें अवस्थित (embedded) हैं और अंषतः संघटित भी।

स्वत्व संबंधी व्यक्तिवादी संकल्पना की आलोचना करते हुए, समुदायवादी जन यह पूछते हैं कि क्या हम उन खास मूल्यों से वाक़ई पीछे हट सकते हैं जो हम अपनाते हैं, और उन्हें नए मूल्य अपनाने के लिए बदल सकते हैं, या फिर इसकी बजाय हमें सर्वथा ऐसे लोग बना दिया जाता है जो कि उन्हीं मूल्यों से जाने जाते हैं जिन्हें हम सकारते हैं ताकि जुड़ाव की गुंजाइष रहे? मनुष्य जन, उनका तर्क है, अनिवार्यतः सामाजिक प्राणी हैं। इस प्रकार, हम न तो अपने सामाजिक व सामुदायिक लक्ष्यों और लगावों को **चुनते** हैं, न ही उन्हें अस्वीकार करते हैं; बल्कि हम उन्हें **महसूस करते** हैं। हम न तो अपने सामाजिक एवं सामुदायिक लक्ष्यों से **मुक्त** हैं, न ही उनसे दूर खड़े हैं; बल्कि हम स्वयं को उनमें **स्थापित/अवस्थित** पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपना परिवार, जाति अथवा धर्म चुनते नहीं हैं; हम उनमें स्वयं को स्थापित पाते हैं। फिर हम एक परिवार, धर्म और राष्ट्र में अपने स्थान, पद और परिस्थिति के अनुसार अपने कल्याण संबंधी अवधारणा और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। समुदायवाद के अनुसार, हम सारी सामाजिक भूमिकाओं व सामुदायिक पहचानों से कभी मुक्त नहीं होते। सामाजिक समूहों व समुदायों की हमारी सदस्यता ही उत्तम जीवन संबंधी हमारी पहचान और समझ को निर्धारित व स्थापित करती है। हम हमेषा ही सामाजिक संबंधों व समुदाय-सदस्यता से पीछे नहीं हट सकते हैं और न ही उनसे बाहर रहना पसंद कर सकते हैं। हमारे सामाजिक संबंध और भूमिकाएँ, यथाप्रदत्त ही स्वीकार की जानी चाहिए। जैसा कि सैण्डल लिखते हैं : ''मैं उन भूमिकाओं के अर्थ की व्याख्या कर सकता हूँ जिनमें मैं स्वयं को पाता हूँ, परन्तु उन भूमिकाओं को ही, अथवा उनसे अन्तर्जात लक्ष्यों को बेकार बताकर, निरस्त नहीं कर सकता। चूँकि एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए ये लक्ष्य निर्माणकारी हैं, उन्हें 'अपने जीवन में मैं क्या करूँ' निर्धारित करने में यथाप्रदत्त स्वीकार करना पड़ेगा; मेरे जीवन में कल्याण का प्रष्न एक ऐसा प्रष्न ही हो सकता कि उनके अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जाए। यह कहना निरर्थक होगा कि उनका मेरे लिए कोई महत्त्व नहीं, क्योंकि उनके पीछे खड़े रहने में 'मैं' का कोई अस्तित्व नहीं, उनके प्रयोजनों अथवा निर्माणकारी लगावों से ऊपर कोई स्वत्व नहीं''।

इस प्रकार, समुदायवादी जन व्यक्तिवाद में पायी जाने वाली व्यक्ति संबंधी पूर्वकालीन असामाजिक व अमूर्त संकल्पना की भर्त्सना करते हैं। उनके अनुसार, यह संकल्पना उस रीति को अनदेखा करती है जिसमें कि इस प्रकार का समाज विद्यमान है जिसमें वे लोग रहते हैं जो दोनों ही लिहाज़ से अपनी समझ का मर्म स्पर्ष करते हैं – स्वयं संबंधी भी और वे अपना जीवनयापन कैसे करें संबंधी भी। एक मूल्यवान जीवन, उनका तर्क है, वो है जो बचनबद्धताओं और संबंधों से भरपूर हो। और उन्हें जो वचनबद्ध बनाता है, सटीक रूप से यह है कि वे इस प्रकार की बातें नहीं हैं जिनके विषय में लोग आये दिन सवाल करें।

बोध प्रष्न 6

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) स्वत्व संबंधी व्यक्तिवादी संकल्पना की समुदायवादी समालोचना पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.7 राज्यीय तटस्थता की समुदायवादी समालोचना

उदारवादी व्यक्तिवाद समालोचना का दूसरा मुख्य केन्द्र है, राज्य की प्रकृति एवं प्रकार्यों संबंधी उसकी समझ। जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी, उदारवादी व्यक्तिवादी जन राज्य को एक अल्पतम और उदासीन राजनीतिक सत्ता के रूप में लेते हैं, जिसके प्रकार्य वैयक्तिक अधिकारों के रक्षण तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित हैं। चूँकि व्यक्तिजन स्वतंत्र, समझदार और आत्म-निर्णयन् में सक्षम हैं, राजनीतिक व्यवस्था में आधारभूत मूल्य, व्यक्तिवाद के अनुसार, राज्य की पक्षपातषून्यता ही होना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया, एक पक्षपातषून्य राज्य वो होता है जो कल्याण संबंधी किसी संकल्पना-विषेष के प्रति वचनबद्ध नहीं होता, और कल्याण संबंधी सभी संकल्पनाओं से समदूरस्थ और उनके प्रति सहिष्णु रहता है।

समुदायवादी जन वैयक्तिक आत्म-निर्णयन् और राज्यीय पक्षपातषून्यता के बीच इस संबंध का विरोध करते हैं। उनके अनुसार, यह दृष्टिकोण कि राज्य मूल्य-तटस्थ होना चाहिए और व्यक्तिजन अपने विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, एक परमाणुवादी विचार से उत्पन्न होता है कि स्वायत्तता की रक्षा तभी हो सकती है जब उत्तम जीवन विषयक फैसले राजनीतिक कार्यक्षेत्र से बाहर रखे जायें और एक वैयक्तिक आधार पर किए जायें। इस प्रकार के ''परमाणुवाद'' को ठुकराते हुए, समुदायवादियों का तर्क है कि, यथार्थतः वैयक्तिक फैसलों को अनुभवों को बाँटे जाने, सामूहिक सलाह-मषविरा लिए-दिए जाने और सहभागित व्यवहारों के सामूहिक मूल्यांकन की अपेक्षा होती है। दूसरे शब्दों में,

उत्तम जीवन विषयक वैयक्तिक विकल्पों का प्रयोग केवल किसी खास तरह के समुदाय में ही किया जा सकता है, न कि स्वतंत्रता व तटस्थता द्वारा प्रेरित किसी संस्कृति के चौक में, जिसकी कि उदारवादी व्यक्तिवाद द्वारा गारण्टी दी जाती है।

समुदायवादी दृष्टिकोण, इसीलिए, जन-कल्याण संबंधी राजनीति के पक्ष में उदारवादी पक्षपातषून्यता का परित्याग किए जाने हेतु तर्क देते हैं। समुदायवादी जन जन-कल्याण को उत्तम जीवन की एक सारयुक्त संकल्पना के रूप में लेते हैं जो कि जीवन के समुदाय साधन को परिभाषित करती है। उत्तम जीवन संबंधी विभिन्न वैयक्तिक संकल्पनाओं के प्रति उदासीन रहने की बजाय, जन-कल्याण ऐसे मानक प्रदान करता है जिनके द्वारा वैयक्तिक विकल्पों व मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जन-कल्याण उस आधार का निर्माण करता है जिस पर कल्याण संबंधी वैयक्तिक संकल्पनाओं को श्रेणीबद्ध किया जाता है, और किसी व्यक्ति की संकल्पना को दिया जाने वाला महत्त्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह जन-कल्याण के कितने अनुरूप है अथवा उसमें कितना योगदान देती है।

समुदायवादी दृष्टिकोण में, एक निष्पक्ष राज्य वो नहीं जो कल्याण संबंधी सभी वैयक्तिक संकल्पना की ओर से तटस्थ रहता है। बल्कि एक निष्पक्ष राज्य वह होता है, जो अपने नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे कल्याण संबंधी ऐसी संकल्पनाएँ अपनायें जो आम भलाई के माफिक हों, जबकि इसके खिलाफ़ जाने वाली कल्याण संबंधी संकल्पनाओं को नापसंद करता है। समुदायवाद के अनुसार, राज्य की प्रकृति पक्षपातषून्य अथवा अल्पतम नहीं होनी चाहिए; बल्कि उसे एक उत्तम जीवन की ओर अग्रसर होने में अपने नागरिकों के दिषा-निर्देषन में किसी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार, जबकि उदारवादी व्यक्तिवाद हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने स्वयं के ''कल्याण'' को परिभाषित करे और उसके लिए प्रयास करे, समुदायवाद का विष्वास है कि ''कल्याण'' को परिभाषित करने और उसके प्राप्ति-प्रयास में लोगों की मदद करने में किसी राजनीतिक संरचना की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसके अलावा, समुदायवादियों का तर्क है कि जन-कल्याण की आवष्यकता न सिर्फ लोगों के उत्तम जीवन विषयक फैसलों के दिषा-निर्देषन में होती है, बल्कि एक न्यायसंगत और विधिसंगत राजनीतिक समुदाय की स्थापना में भी होती है। टेलॅर के अनुसार, जन-कल्याण संबंधी धारणा रखने की ज़रूरत है ताकि नागरिकजन एक कल्याणकारी राज्य द्वारा अपेक्षित न्याय संबंधी माँगों को स्वीकार कर सकें। एक कल्याणकारी राज्य में न्याय–सिद्धांत के अन्तस्थल में यह तर्क है कि लाभांवित जन को दूसरों (अलाभांवितों) की खातिर अपने अधिकारों व पुरस्कारों के कुछ अंष का परित्याग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक उदारवादी पूँजीवादी समाज में, सम्पत्ति-सम्पन्न वर्गों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सम्पत्ति में से कुछ का (करों के रूप में उगाहया जाने वाला) परित्याग कर दें ताकि सम्पत्ति-विपन्न लोगों को लाभ पहुँचे और एक न्यायसंगत समाज को कायम रखा जा सके। टेलॅर के अनुसार, तथापि, इस प्रकार के परित्याग हेतु मांग एक व्यक्तिवादी समाज में अनुचित लगेगी क्योंकि नागरिकों से अपने अधिकारों का परित्याग ऐसे लोगों की खातिर किए जाने की अपेक्षा रहेगी जिनके साथ वे कोई सामुदायिक पहचान अथवा सर्वमान्य जीवन-रीति का पालन नहीं करते। यदि हम किसी समुदाय अथवा सहभागित जीवन-रीति से दूर रहते हैं, तो निष्चय ही हम उदारवादी न्याय के बोझ को कंधा देने के अनिच्छुक होंगे। समुदायवादी दृष्टिकोण में इसीलिए, न्याय एक ऐसे समुदाय में ही जड़ जमाता है जिसका मुख्य जोड़ आदमी और समुदाय, दोनों की कल्याण संबंधी सहभागित समझ (shared understanding) है।

बोध प्रश्न 7

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अन्त देखें।

1) राज्यीय तटस्थता की धारणा संबंधी समुदायवादी समालोचना का परीक्षण करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.8 सारांष

ऊपर, हमने व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच वाद-विवाद संबंधी मुख्य धारणाओं पर सूक्ष्म दृष्टि डाली। अब हम इस इकाई का समापन व्यक्तिवाद और समुदायवाद के कुछ योगदानों एवं सीमाबंधनों की ओर संकेत करके करेंगे।

जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच बहस ऐसे लोगों के बीच बहस है जो वैयक्तिक अधिकारों एवं स्वायत्तता का समर्थन करते हैं और जो सामुदायिक बंधनों एवं सामाजिक लगावों पर ज़ोर देते हैं। जबकि व्यक्तिवाद राजनीतिक यथार्थ को स्वतंत्र एवं अधिकार-सम्पन्न व्यक्तियों के निर्णयों एवं कार्यों द्वारा साकार किए जाने के रूप में देखता है, समुदायवादी जन व्यक्ति एवं समुदाय के बीच संबंध पर ज़ोर देते हैं और इस संबंध को ही राजनीति का आधार मानते हैं। इस विरोध के बावज़ूद, व्यक्तिवाद और समुदायवाद दोनों ने ही राजनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार में बड़ा योगदान दिया है।

ऐतिहासिक रूप से, व्यक्तिवादी विचारों एवं नीतियों ने संगठित धर्मों, सामाजिक क्रम-व्यवस्थाओं तथा निरंकुष राज्य के विरुद्ध एक उद्धारक आन्दोलन को जन्म दिया। इसने राज्य की निरंकुषता के खिलाफ़ व्यक्ति की योग्यता, प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता का दावा किया। इसके बदले में उसने सामूहिक निर्णय का लोकतंत्रीकरण करवा दिया। तथापि, व्यक्तिवादी सिद्धांत की कुछ सीमाबद्धताएँ भी हैं। लेस-ॲफेॲ व्यक्तिवाद की मुख्य मान्यता, कि वह आर्थिक विकास और सामाजिक सामन्जस्य को बढ़ावा देगा, सफल नहीं हुई। इसकी बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि निरंकुष राज्य से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, एक मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा सम्पत्ति-विपन्न वर्ग से बाद में छीन ली गई। ऐसी स्थिति में, वंचित जन ने समर्थनकारी हस्तक्षेप अथवा कल्याण हेतु राज्य का मुँह ताका। इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी में, लेस-ॲफेॲ अथवा आर्थिक व्यक्तिवाद के विचार ने कल्याणकारी उदारवाद का रास्ता दिखाया। आज, एक बार फिर कल्याणकारी राज्य के स्थान पर लेस-ॲफेॲ सिद्धांत को लाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से पुनर्प्राप्त करने के

पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। यह दलील खासकर इच्छा-स्वातंत्र्यवादीजन अथवा नव-उदारवादी जन देते हैं।

उदारवादी परिप्रेक्ष्य ने नागरिकों के उत्तम जीवन को निर्धारित करने में सामाजिक/सामुदायिक सदस्यता और मूल्यों के महत्त्व पर उचित रूप से ज़ोर देकर राजनीति के अध्ययन में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसे समाजों में, जो कि मूल रूप से समुदायों से मिलकर बने हैं, विभिन्न समुदायिक मूल्यों व पहचानों को मान्यता और सम्मान देना अनिवार्य है। तथापि, समुदायवाद, यदि वैयक्तिक अधिकारों का सहायक नहीं हुआ, तो भविष्य में कभी रूढ़िवादी और दमनकारी सम्पृक्तार्थ ग्रहण कर सकता है क्योंकि वह वर्तमान समुदायों व उनकी परम्पराओं की रक्षा किए जाने का सम्मान करता है। यह बात ऐसे कुछ समूहों के बहिष्करण में परिणत हो सकती है जिनकी जीवन-रीति जन-कल्याण अथवा सहभागित जीवन-रीति के अनुरूप न हो।

समसामयिक राजनीति-सिद्धांत में, व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच सम्पूरकता पर ज़ोर दिए जाने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक सिद्धांती जन जिन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए, वे हैं – विल किमलिका, भिक्खु पारेख और चार्ल्स टेलॅर। ये सिद्धांती जन एक ऐसे उदावादी विचार की संभावना को रंखांकित करते हैं जिसका उनसे कोई विवाद न हो और जो कि शायद समुदायवादियों द्वारा पेष किए जाने वाले तर्कों को समर्थन देता है। व्यक्तिवाद और समुदायवाद के बीच सम्पूरकता तलाषने हेतु इस प्रकार के प्रयास समसामयिक राजनीति-सिद्धांत और व्यवहार में कुछ मुख्य विवादों को निपटाने हेतु आवष्यक हैं।

24.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

ऐबैन्स्टीन, विलियम, *ग्रेट पॅलिटिकॅल थिंकर्स : प्लेटो टु द प्रेज़ेन्ट, ऑक्सफोर्ड,* न्यूयार्क व आई.बी.एच., 1969

हैम्पटन, जीन, *पॅलिटिकॅल फ़िलॅसॅफ़ि,* ऑक्सफोर्ड, दिल्ली, 1998

किम्लिका, विल, *कॅन्टैम्पॅरैरी पॅलिटिकॅल फ़िलॅसॅफ़ि : ऐन इण्ट्रोडक्षन,* क्लेरैन्डन, ऑक्सफोर्ड, 1990

मल्हाल एवं स्विफ़्ट, *लिब्रल्स एण्ड कॅम्युनिटेरियन्स,* ब्लैकवैल, ऑक्सफोर्ड, 1992

हेवुड, एन्ड्रयू, *पॅलिटिकॅल आइडियाज़ एण्ड कॅन्सैप्ट्स : ऐन इण्ट्रोडक्षन,* मैकमिलन, लंदन, 1994

24.10 बोध प्रष्नों के उत्तर

बोध प्रष्न 1

1) देखें भाग 24.2 और खासकर उपभाग 24.2.1

2) देखें उपभाग 24.2.2

बोध प्रष्न 2

1) देखें उपभाग 24.3.1

2) देखें उपभाग 24.3.2

बोध प्रश्न 3

1) देखें भाग 24.4

बोध प्रश्न 4

1) देखें भाग 24.5

बोध प्रश्न 5

1) देखें भाग 24.6

बोध प्रश्न 6

1) देखें भाग 24.7

बोध प्रश्न 7

1) देखें भाग 24.8